# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

**किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.** **पत्रावली संख्या : 116/23**

**जीसीएमएस : 2023/298**

**प्रार्थी :–** 1. श्री राजकुमार पिता वेणीराम सालवी निवासी खरताणा तह. मावली।

**विपक्षी :–**1. श्री शंकरलाल पिता भगवान कुमावत निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्रीमती दाखीबाई पत्नी माधुलाल जाट निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्री प्रवीण पिता बालुराम सालवी निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्रीमती कमला पत्नी बालुराम सालवी निवासी खरताणा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

**दिनांक : 06.06.2024**

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 2271/1623 के पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा का सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

## –: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 2271/1623 किता 1 रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि के पश्चिम एवं उत्तर दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी मौके पर अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.14 18:06:06 IST
Reason: SelfAttested